

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (यू-22) अलेसे-1/975

दिनांक:- 01/07/2020

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिक की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 25-ए के नीचे उद्धृत 7(8)(B)(III) के अन्तर्गत उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 6 में अंकित अवधि को नियमित करते हुये कॉलम संख्या 9 में अंकित विभाग/कार्यालय से वेतन आहरण/भुगतान की स्वीकृति एतद् द्वारा निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिंग नंबर	नाम कार्मिक मय पद (सर्वश्री)	निदेशालय में उपस्थिति देने की दिनांक	नवपदस्थापन कार्यालय का नाम	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि	आचार संहिता की अवधि	आदेशों की प्रतीक्षा अवधि (आचार संहिता की अवधि को घटाते हुए)	प्रस्तावित कार्यालय जहाँ से भुगतान किया जाना है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6490	उपेन्द्र सिंह सिराधना, सलेअ-1	30.12.2019	प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर	30.12.2019 से 04.02.2020	30.12.2019 से 30.01.2020 (32 दिवस)	31.01.2020 से 04.02.2020 (5 दिवस)	प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर

श्री सिराधना द्वारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण दिनांक 13.01.2020 से दिनांक 24.01.2020 तक अवकाश पर रहे थे, अतः इनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 13.01.2020 से दिनांक 24.01.2020 तक (कुल 12 दिवस का) रूपान्तरित अवकाश भी स्वीकृत किया जाता है।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (यू-22) अलेसे-1/975

दिनांक:- 01/07/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त शहर, जयपुर
2. प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर।
3. कोषालय, जयपुर (शहर)।
4. श्री उपेन्द्र सिंह सिराधना, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 कार्यालय प्राचार्य, कन्या महाविद्यालय, किशनपोल, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

(भवानी सिंह भीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)